# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः— 177 /13—प्यूडा दिनांक 20/7 /2020

प्राप्ति सं० 1687
फाईल सं० 13 mg
दिनांक 21/7/2020

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
निर्माण,खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल नैनीताल ।

विषय :— **जनपद—नैनीताल में राज्य योजना के अर्न्तगत प्यूडा इण्टर कालेज से कूल—विरखन एंव सूड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.458 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन । प्रस्ताव संख्या** (FP/UK/ROAD/34350/2018)

संदर्भ :— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0पी0सी0/06/67/2019/एफ0सी0/286 दिनांक 09.06.2020. एंव अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोड़ल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड़ देहरादून की पत्र सं0 2137 /FP/UK/ROAD/33425/2018देहरादून, दिनांक 18.02..2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिर्वतन मंत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैं ।

1— शर्त न0 3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता' एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 **1.458** X 2= 2.916 **है0** X **3,37,184.00** = 9,83,229.00 (रू0 नौ लाख तिरासी हजारः दो सौ उडन्तीस ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/3—5—2 दिनॉक 21—11—2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया हैं। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम अधौडा सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण एंव हस्तानान्तरण के सुप्रमाण प्रेषित किया जाना हैं । चूकि चयनित सिविल सोयम भूमि हल्द्वानी वन प्रभाग के अर्न्तगत हैं ।

शर्त न0 3(ख) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एव रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। वन विभाग के स्वामित्व से बाहर ऐसे क्षेत्र जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

शर्त न0 3(घ) के अनुपालन में मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया।

2— शर्त न0 5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया **1.458** है0 X 8,45,000=12,32,010.00(रू0 बारह लाख बत्तीस हजार दश )मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं ।

शर्त न0 5(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण' से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

3— अपर प्रमुख वन संरक्षक,एव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 1 में उल्लेख किया गया हैं कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया हैं कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोट किया जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोट करेंगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगें । क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि का म्यूटेशन वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा एंव म्यूटेशन की गयी भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन धोषित होने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत की जानी हैं ।

4–शर्त न0 7 के अनुपालन में State govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work befor stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.

5–शर्त न0 9 के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

6–शर्त न0 11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जाएंगे।

7–शर्त न0 14 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

8–शर्त न0 17 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

9–शर्त न0 22 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाइल संख्या 11–42 / 2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

10–शर्त न0 23 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।

11–शर्त न0 24 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेखण में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तो का अनुपालन आख्यॉ उपलब्ध कराना सुनिशचित करें ।

12– अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 2 में उल्लेख किया गया हैं कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दर से देय धनराशि जमा होने के पश्चात प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धनराशि के अनुसार संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त की जायेगी । जिसे भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु नोडल अधिकारी कार्यालय को मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा ।

13– उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 2 में उल्लेख किया गया हैं कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन भारत सरकार के forestsclcarance.nic.in पर Online अपने user account में जाकर stage ll clearance में पहले mutatation की detail भरकर एंव समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या Online नोडल अधिकारी देहरादून के कार्यालय को प्रेषित की जानी हैं तथा हार्ड काफी इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। तत्पश्चात् अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके ।

RN.1687/18 M/21/7/2020

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल ।

21/07/2020

पत्रांक /उक्तदिनांकित ।

**प्रतिलिपि :–** अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

**प्रतिलिपि –** वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

**प्रतिलिपि :–** जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।